निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 132 / 25
दायरा दिनांक :– 23.09.2025
निर्णय दिनांक :– 28/11/2025

उनवान

1. रोहित पुत्र बनवारी जाति धाकड निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां राज0

वादी–

बनाम

1. इशिका पुत्री बनवारी जाति धाकड निवासी बामला हाल दीलोदा
2. ज्योति पुत्री बनवारी जाति धाकड निवासी बामला हाल निवासी जयनगर तहसील अंता जिला बारां
3. पूजा पुत्री बनवारी जाति धाकड निवासी झालरी खण्डगांव जिला कोटा
4. शिल्पा पुत्र बनवारी जाति धाकड निवासी बामला तहसील व ज़िला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 28/11/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री धैर्य नागर एड़0 – वादी
2. श्री तेज कुमार मीना एड0– प्रतिवादीगण

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां की आराजी खाता संख्या नया 476 पुराना 231 की आराजी खसरा नं0 1686 / 318 रकबा 1.34 हेक्टे० खसरा नं0 323 रकबा 5.29 हेक्टे० खसरा नं0 324 रकबा 0.05 हेक्टे० खसरा नं0 724 रकबा 0.05 हेक्टे० कुल 4 किता कुल रकबा 6.73 कुल लगानी 101.74 रूपये स्थित है जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजियात पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रतिवादी कम 1 ता 4 द्वारा उक्त आराजियात को कभी भी उक्त आराजी पर काश्त नहीं किया है। वादी व वादी के पिता द्वारा प्रतिवादी कम 01 ता 04 को विवाह के समय नकद राशि व दहेज के समय ही राशि अदा करदी थी तब प्रतिवादी क्रम 01 ता 04 द्वारा वादी से कहा था कि हम उक्त आराजियात मे कोई हक हिस्सा नहीं चाहिये उक्त संपूर्ण आराजियात वादी की ही रहेगी। प्रतिवादी क्रम 01 ता 04 द्वारा अपनी सहमति व गवाहान की उपस्थिति में 500 रूपये के स्टांप हकत्याग पत्र अंकित करवा दिया है जिसमे प्रतिवादी कम 01 ता 04 द्वारा अपने हक हिस्से की संपूर्ण आराजियात को वादी

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

के पक्ष में हक तर्क कर दिया। वादी का निरन्तर कब्जा काश्त होने व हकत्याग पत्र के आधार पर वादी के हक हकूक परिपक्व हो चुके है इस आधार पर वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने एवं खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी द्वारा दिनांक 17–9–2025 को प्रतिवादी कम 5 के यहां उक्त हकत्याग पत्र के आधार पर उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया तो उनके द्वारा असमर्थता जाहिर कर सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर वाद कारण दिनांक 17–9–2025 को बमुकाम बारां मे उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया जा चुका है जो उनको प्राप्त हो गया है किन्तु नोटिस की मियाद समाप्त नहीं हुई है चूंकि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस की मियाद समाप्ति तक वाद प्रस्तुत करने का इंतजार किया जाना संभव नहीं है इस कारण वाद धारा 80 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। राजस्थान सरकार सर्वोच्च भूमि स्वामी होने के कारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूपमे तहसीलदार बारां को प्रतिवादी कम 5 के रूपमे पक्षकार बनाया गया है। वाद उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है। माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिकी पारित की जावें कि ग्राम बामला तहसील बारां की खसरा नं0 1686/318 रकबा 1.34 हेक्टे० खसरा नं0 323 रकबा 5.29 हेक्टे० खसरा नं0 324 रकबा 0.05 हेक्टे० खसरा नं0 724 रकबा 0.05 हेक्टे० कुल 4 किता कुल रकबा 6.73 कुल लगानी 101.74 रूपय वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादी के खातेदारी एवं स्वामित्व में किसी भी प्रकार की मदालखत प्रतिवादीगण न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वकील वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070–2070, खाता संख्या नया 476, पुराना 231, खसरा संख्या 1686/318, 323, 324, 724, नकल नोटिस 80 सीपीसी दिनांक 19.09.2025, पेश किया गया।

अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार ग्राम इकलेरा पटवर हल्का इकलेरा तह0 बारां की आराजियात खाता संख्या नया 476 पुराना 231 की आराजी खसरा नं0 1686/318 रकबा 1.24 हे0, खसरा नं0 334 रकबा 5.29 हे0, खसरा नं0 324 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 724 रकबा 0.05 हे0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.73 हे0, में प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

का 1/6, 1/6 हक हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात में निहित अपने संपूर्ण हिस्से को वादी को देने हेतु सहमत है। उक्त संपूर्ण आराजियात को वादी के हक हिस्से में दर्ज कर दिया जावें।

प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् को पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। उभय पक्षकारान् राजीनामा पढ व सुनकर स्वीकार किया गया, तथा राजीनामा एवं पत्रावली पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान् की सहमति एवं सन्तुष्टि के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 476, पुराना 231 व खसरा नं0 1686/318 रकबा 1.34 हे0, खसरा नं0 323 रकबा 5.29 हे0, खसरा नं0, 324 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 724 रकबा 0.05 हे0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.73 हे0, में से प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 के हिस्से का नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी एवं पंजीयन शुल्क जमा करवा देवें तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी के हिस्से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 132/25	धारा अन्तर्गत 88,89,188 आर. टी. एक्ट	अन्तिम निर्णय दिनांक : 28/11/2025
समक्ष : श्री विश्वजीत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री धैर्य नागर एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री तेज कुमार मीना एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. रोहित पुत्र बनवारी जाति धाकड निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां राज0

वादी–

बनाम

1. इशिका पुत्री बनवारी जाति धाकड निवासी बामला हाल दीलोदा
2. ज्योति पुत्री बनवारी जाति धाकड निवासी बामला हाल निवासी जयनगर तहसील अंता जिला बारां
3. पूजा पुत्री बनवारी जाति धाकड निवासी झालरी खंण्डगांव जिला कोटा
4. शिल्पा पुत्र बनवारी जाति धाकड निवासी बामला तहसील व जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रतिवादीगण–

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 476, पुराना 231 व खसरा नं0 1686/318 रकबा 1.34 हे0, खसरा नं0 323 रकबा 5.29 हे0, खसरा नं0, 324 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 724 रकबा 0.05 हे0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.73 हे0, में से प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 के हिस्से का नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी एवं पंजीयन शुल्क जमा करवा देवें तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी के हिस्से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

साथ ही नियमानुसार..................................रू0 का व्ययानुतोष......................द्वारा............ को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28/11/2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		